IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई -5

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्र सं0– 851 / वा0नि0– / एम0पी0आर0 / दिनांक– 10/7/13

स्वीकृति–पत्र

सेवा मे,

मैसर्स गुरूकृपा डेवलपर्स एण्ड इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0
द्वारा निदेशक तेजपाल सिंह सियाल
978–निराला नगर,लखनऊ।

विषय.–ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 4ए / जी0एच0–05 वृन्दावन योजना लखनऊ में मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 4ए / जी0एच0–05 वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1 स्वीकृत निर्माण स्थल परग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 4ए / जी0एच0–05 वृन्दावन योजना लखनऊ की कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।

2 स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 10/7/13 से 9/7/18 तक।

3 स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनो सहित मान्य होगा।

4 यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।

5 यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 23907.493 व0मी0 (बेसमेन्ट+स्टिल्ट+12) तलो मे से 5412.583, वर्ग मी0 (बेसमेन्ट+स्टिल्ट फ्लोर) तलो हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 5723.01 व0मी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेन्ट फ्लोर एंव स्टिल्ट फ्लोर मे पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. मे आगणित नही किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान मे निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेन्ट एंव उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।

6 बेसमेन्ट एंव उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) शेष निर्माण 18494.91 वर्गमी0 की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलग्न है।)

7 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11 उ0 प्र0 आवास एंव विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। अधिशासी अभियन्ता 11 व सहायक आवास आयुक्त वृन्दावन योजना द्वारा स्थल पर निर्माण इस दशा में अनुमन्य किया जायेगा, जबकि सबंधित द्वारा प्रश्नगत भूमि हेतु परिषद को देय समस्त भुगतान का निर्धारित समयानुसार अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

8 उपनिदेशक उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक–अ–29 / डी0डी0 (लखनऊ) 13 दिनॉक 4.11.2013 द्वारा प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो के अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है एंव भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व उप निदेशक उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।

9 निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।

10 आवंटी द्वारा सलग्न प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलग्न करना होगा। समयावधि तत्पश्चात निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

11 मैसर्स गुरूकृपा डेवलपर्स एण्ड इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0 द्वारा स्थल (सार्वजनिक) / मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार करने की दशा मे वह मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज(अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते मे एकमुश्त जमा करेगा।

12 कम से कम 200 व0मी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।

14 भूकम्परोधी शासनादेश सं0 570–9–आ–12001 (भूकम्परोधी /2001/(आ0बा0) दिनांक 3.2.2001 एवं सं0 3751/9–आ–भूकम्परोधी/2001 /(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, सेट के एक मानचित्र के पृष्ट भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण करना होगा।

15 स्वीकृति साईट प्लान की प्रति पर अंकित भू–भाग (ABCD) परिषद को मार्टगेज किया गया है। अतः इस पर निर्मित भू–गेह एवं स्टिल्ट की पार्किंग तथा प्रथम तल पर बी–105 व बी0–106 द्वितीय तल बी0–205 व बी0–206 तृतीय तल पर बी0–305 व बी0–306 चतुर्थ तल पर बी0–405 व बी0–406 पंचम तल पर बी0–505 व बी0–506 छठे तल पर बी0–605 व बी0–606 सातवे तल पर बी0–705 व बी–706 आठवे तल पर बी0–805 व बी0–806 तथा नवें तल पर बी0–905 व बी0–906 दसवे तल पर बी0–1005 व बी 1006 ग्यारवे तल पर 1105 से 1106 तथा बारहवे तल पर बी0 1205 व बी0–1206 को बेचने का अधिकार आवेदक को नही है। यह पार्किंग एवं फ्लैट आवेदक तभी बेच सकता है जब परिषद के द्वारा आवेदक के हित मे रिडम्शन डीड कर दी जाए।

16 आवंटी द्वारा भारतीय विमान पत्तनम् का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नही किया गया है, जिसके सम्बंध मे आवंटी को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है, कि ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण 15.00 मी0 तक किया जा सकता है, अथवा छः महीने के अन्दर उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही 15.00 मी0 से अधिक ऊँचाई का निर्माण किया जा सकेगा।

17 समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगे।

18 मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र [STRUCTURAL] प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चत कराया जायेगा।

19 अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–3 के द्वारा यह सुनिश्चत किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।

20 प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

संलग्नक

1 आर्कीटैक्चरल मानचित्रो का एक सेट (09 नग शीट्स)
2 स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (06 नग शीट्स)
3 स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट।
4 पूर्णत. प्रमाण पत्र का प्रारूप–ब।

(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

प्र0 सं0– /उक्त /
दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ।
2 अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रो के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र–ब की एक प्रति संलग्न है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित कर ले कि आवंटी अपने ही भूखण्ड मे निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा।
4 सहायक आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबंध लखनऊ को शर्त सं0–04 व 15 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु
5 मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को प्रपत्र ब सहित।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी